तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.20	न्यायालय हाजा में विचाराधिन प्रकरण संख्या 06/18 अनवान बरजु बनाम हीरादेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिवादी सं. 12 के अधिवक्ता उगराराम उदाणी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम जवाहरनाड़ा पटवार क्षेत्र पड़ियाल के खसरा नम्बर 64 रकबा 123.13 बीघा एंव ग्राम रामदेव नगर पटवार क्षेत्र पड़ियाल के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.16 बीघा, खसरा न. 584 रकबा 32.06 बीघा के बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने पिताजी का 1/2 हिस्सा होना बताते हुवे उनके फौत होने पर उनका नाम से नामांतरकरण नहीं भरना होना बताते हुवे दावा पेश किया है तथा अपना कब्जा काश्त भी होना बताया है तथा दावा में वादीगण ने यह स्वीकार किया है कि हमारे पिताजी फौत हुवे तब हमारा नाम दर्ज नहीं किया गया था एंव प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा खसरा नम्बर 64 रकबा 123.13 बीघा में से 60/144 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1ता 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीदना बताया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 12 ने 8/24 हिस्सा कुमता पत्नी हडमानराम जति बिश्नोई निवासी कानासर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद की थी और शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के अपने 1/2 हिस्सा पृथक हिस्सा में से बेचान की थी और कुछ जमीन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने बंट एंव हिस्से की भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान की थी । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 12 के नाम से जो भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उसको प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा बेचान प्रतिफल के बदले खरीद की है तथा उस भूमि पर खरीद की तारीख से प्रतिवादी संख्या 12 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1,2व 3 ने जो भूमि बेचान की है वो भूमि इनके नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद इनके नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि पूर्व में चिमाराम के नाम दर्ज थी चिमाराम फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 के द्वारा चिमाराम के वारीसान 2 पुत्र व एक पत्नि के नाम दर्ज हुई चिमाराम के वारीसान के नाम नामान्तरकरण 01.04.1999 को भरा गया था। उस दिन बहने सहदायी नहीं थी इस लिये इन्हे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत कोई हक हिस्सा नही मिल रहा था बहनो का उक्त वाद में कोई हक हिस्सा नही होने से कानूनन कोई दावा पेश नही किया जा सकता इसलिये वाद वादी का विधि विरूद्व होने से खारीज किया जावें जिसकी कोपी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी को दिलाई गयी जिसका वादी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया की प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मिथ्या एंव गलत होने से अस्वीकार है एंव आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में चिमाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी प्रतिवादी चिमाराम फौत होने पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 चिमाराम के 1/2 हिस्से में कब्जा काश्त हो गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1ता 3 नें मात्र अपने आप को चिमाराम को वारिसान होना बताते हुए चिमाराम का फौतेगी नामान्तरकरण अपने नाम से भरवाकर स्वीकृत करवा लिया जबकी वादीगण चिमाराम के जाईन्दा संन्तान होने से उनको चिमाराम के हिस्से कि भूमि में जन्म से ही खातेदारी अधिकार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत निहित हो जाता है। लेकिन प्रतिवाादी संख्या 1 ता 3 ने वादीगण को उनके हिस्से कि भूमि से वंचित करने कि नियत से सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया है इस लिये प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें। प्रतिवादी एंव वादी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रतिवादी	

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आगे यह बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जो भाई बहिन है उनके पिताजी चिमाराम जब फौत हुए तब फौतेतगी नामान्तरकरण की सभी को भली भांती जानकारी थी उस वक्त बहनो ने कोई आपति नही कि बाद में भाईयो एंव माता ने सम्पूर्ण भूमि को अलग अलग खरीदारों को प्रतिफल के बदले बेचान कर दी जिसकी भी बहनो को भलि भाति जानकारी थी चूकि वर्तमान में बेचानकर्ता के मन में बदनियति आने से अपनी बहनो को बुलाकर उनसे दुरभी संधि कर बेचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा ही ये दावा पेश करवाया गया है जबकि खरीदार का इसमें कोई दोष नही है खरीदारों ने सम्पूर्ण भूमि के पैसे देकर उक्त भूमि खरीदी है बहने यदि उक्त वादग्रस्त भूमि बावत अपना क्लेम करना चाहती है तो अपने भाईयो व माता के विरूद्ध सिविल न्यायालय में दावा कर सकती है उक्त दावा दुरभी संधि का होने से कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है तथा वाद विधि द्वारा वर्जित है इस लिये वाद चलने लायक नही होने से खारीज फरमाया जावे उक्त बहस का वादीगण के अधिवक्ता द्वारा खंडन करते हुवें अपनी बहस में बताया की वादग्रस्त भूमि वादीगण के एंव प्रतिवादी संख्या 1ता 7 के पुर्वज चिमाराम के खातेदारी में थी चिमाराम फौत होने पर सभी वारीसान के नाम बराबर दर्ज हो जानी थी लेकिन सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1ता 3 के नाम ही दर्ज हुयी इस लिये प्रतिवादी संख्या 1ता 3 ने अपने हिस्से से ज्यादा हमारे हिस्से कि भूमि का बेचान कर दिया है अब हमनें हमारी जमींन का दावा किया है ।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण के अधिवक्ता कि प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एंव प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एंव बहस पर मनन से यह पाया गया की वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1ता 7 चिमाराम के वारिसान है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1ता 3 ने चिमाराम के फौतेतगी के बाद सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने के बाद सम्पूर्ण भूमि का अलग अलग बेचान के जरिये सद्भावी क्रेता को बेचान कर दी एवं उसके प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर मौके पर कब्जा काश्त खरीददारो को सुपुर्द कर दिया है जिसमें वादीगण द्वारा सन्1999 से लेकर के इतने लम्बे अतंराल तक कोई दावा पेश नही किया है और ऐसा भी नही है की वादीगण को उक्त चिमाराम के फौतेतगी नामान्तरकरण कि जानकारी नही रही हो ।उक्त वादग्रस्त भूमि का अलग अलग समय में अलग अलग बेचान हुए है जिसमें सम्पूर्ण भूमि का बेचान होने पर उक्त दावा पेश किया है जिससे यह सावित हो रहा है कि भाई एंव बहनो ने आपस में दुर्भी सन्धि कर जमीन को वापिस हड़पने के लिये यह दावा पेश किया है बहने चाहती तो अपने भाईयो के विरूद्व बेचान कि गई भूमि की प्रतिफल की राशी बावत सिविल न्यायालय में चाराजोई कर सकती थी लेकिन अपने भाईयो से मिलावट कर खरीदारो के विरूद्व यह गलत दावा पैश करना सावित हो रहा है जिस कारण वादीगण को कोई वादकारण पैदा नही होने से एंव दावा दुर्भी सन्धि का होने से वाद विधिद्वारा वर्जित है जो दावा चलने लायक नही है

अतः प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.को स्वीकार कर वादीगण द्वारा पेश वाद खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 20–01–2020 को सरे इजलास मे सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक दण्डनायक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी

1. बरजू पुत्री चीमाराम पत्नि भागीरथराम
2. लाछी पुत्री चीमाराम पत्नी किशनाराम जाति विशनोई निवासी सामराऊ तहसील ओसियां
3. अनोपी पुत्री चीमाराम पत्नि भरमलराम जाति विशनोई निवासी जवाहरनाड़ा पड़ियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हीरादेवी पत्नि चीमाराम
2. पेमाराम पुत्र चीमाराम
3. मांगीलाल पुत्र चीमाराम जति विश्नोई निवासी जवाहरनाड़ा पड़ियाल तहसील फलोदी
4. घोपी पुत्री चीमाराम पत्नी छोटाराम जति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी
5. भती पुत्री चीमाराम पत्नी सोनाराम जति विश्नोई निवासी चाड़ी तहसील फलोदी
6. सोमी पुत्री चीमाराम पत्नी गोरधनराम जति विश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी
7. संती पुत्री चीमाराम पत्नी हरीगाराम जति विश्नोई निवासी रणीसर तहसील फलोदी
8. शान्ति पत्नी हरीराम पुत्र मुणाराम
9. पांचाराम पुत्र हीराराम
10. लाधूराम पुत्र हीराराम
11. रामकरण पुत्र हीराराम
12. गवरीदेवी पत्नी भागचंद सभी जति विश्नोई निवासीगण आसोलाई (जवारनाड़ा) तहसील फलोदी
13. हरिराम पुत्र रामलाल
14. श्रीराम पुत्र रामलाल जाति विशनोई निवासी जवाहरनाड़ा पड़ियाल तहसील फलोदी
15. शाखा प्रबंधक, जोधपुर सहकारी भूमि विकाश बैक लिमिटेड, शाखा जोधपुर
16. शाखा प्रबंधक, एस,बी,बी,जे,बैक , शाखा फलोदी
17. तहसीलदार फलोदी

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 06/2018

यह मुकदमा आज़ वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री नवाब खान अधिववक्ता मिनजानिब व श्री रेंवतसिंह पातावत, उगराराम ऊदाणी, सुरेन्द्र कुमार विशनोई, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत खारीज किया जाता है। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
आहदा

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.28 10:57:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: